बिहार सरकार
कृषि विभाग

पत्रांक :–DoH/SS/63/2026- प०प०एम० – 94 – / पटना दिनांक -24.09. 2026

प्रेषक,

कल्पना कुमारी,
अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

(+) अनौपचारिक रूप से परामर्शित

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

द्वारा : **वित्त विभाग।**

विषय : **वित्तीय वर्ष 2026–27 में राज्य स्कीम मद से शारदीय (खरीफ) एवं वासंतिक (रबी) मौसम के लिए गेंदा फूल का उत्पादन एवं मूल्य संवर्धन की योजना के कुल 1275.00 लाख (बारह करोड़ पचहत्तर लाख) रूपये मात्र की लागत पर कार्यान्वयन, निकासी एवं व्यय की स्वीकृति।**

आदेश : **स्वीकृत।**

वित्तीय वर्ष 2026–27 में राज्य स्कीम मद से शारदीय (खरीफ) एवं वासंतिक (रबी) मौसम के लिए गेंदा फूल का उत्पादन एवं मूल्य संवर्धन की योजना के कुल 1275.00 लाख (बारह करोड़ पचहत्तर लाख) रूपये मात्र की लागत पर कार्यान्वयन, निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्लस्टर में गेंदा फूल की उत्पादन को बढ़ावा देना, बाजार तक बिना उत्पादन क्षति पहुँच हेतु परिवहन की सुविधा देना एवं Distress Sale को कम करने के लिए शुष्क–पुष्प आधारित मूल्य संवर्धन को प्रोत्साहित करना है।

फलस्वरूप कृषक अपने फूल उत्पाद को बिना परिवहन क्षति बाजार ले जा सकेंगे एवं ताजी फूलों को बेच सकेंगे। बिक्री उपरान्त अवशेष फूल एवं मंदिरों से प्राप्त अपशिष्ट फूलों को सुखाकर मूल्यवर्द्धित उत्पाद तैयार कर सकेंगे। इससे कृषक को बेहतर कीमत मिल पायेगा एवं आजीविका सुदृढ़ हो सकेगा।

3. योजना से संबंधित विवरणी अनुसूची–1, 2, 3, 4 एवं 5 के रूप में संलग्न है।

4. योजनान्तर्गत तीन घटकों का कार्यान्वयन किया जाएगा :–

(i) शारदीय (खरीफ) एवं वासंतिक (रबी) मौसम में गेंदा फूल का उत्पादन :– गेंदा फूल की खेती हेतु इकाई लागत 80,000/– रूपये प्रति हेक्टेयर पर कृषकों को 50 प्रतिशत अनुदान अधिकतम 40,000/– रूपये प्रति हेक्टेयर अनुदान दिया जायेगा। शारदीय (खरीफ) का कार्यान्वयन राज्य के 23 जिलों में अनुसूची–3 के अनुसार किया जायेगा। वासंतिक (रबी) मौसम में गेंदा फूल की खेती का कार्यान्वयन राज्य के सभी जिलों में किया जायेगा। जिलावार लक्ष्य अनुसूची–2 के रूप में संलग्न है।

उपरोक्त घटक में लाभुकों को अनुदान की राशि का एकमुश्त भुगतान पौधा लगाने के पश्चात् संबंधित प्रखंड उद्यान पदाधिकारी द्वारा सत्यापनोपरान्त अपनी अनुशंसा जिला उद्यान

पदाधिकारी को किया जायेगा एवं जिला उद्यान पदाधिकारी के आवश्यक सत्यापनोपरान्त संतुष्टि के उपरान्त अनुदान भुगतान किया जायेगा।

(ii) मालवाहक वाहन :– मालवाहक वाहन के लिए इकाई लागत 6.50 लाख रूपये निर्धारित है जिस पर 50 प्रतिशत अनुदान अर्थात् अधिकतम 3.25 लाख रूपये अथवा वास्तविक इकाई लागत का 50 प्रतिशत दोनों मे से जो कम हो वह देय होगा। मालवाहक वाहन का कुल भौतिक लक्ष्य 10 है, जिसे मुख्यालय स्तर पर रखा गया है। फूल शीघ्र नष्ट होने वाला उत्पाद है। मालवाहक वाहन के उपयोग से कृषक समूह अपने उत्पाद को शीघ्र बाजार तक पहुँचा पायेंगे।

(iii) शुष्क–पुष्प आधारित प्राथमिक मूल्य संवर्धन इकाई :–इसके लिए तीन मॉडल प्रस्तावित है, जो निम्नवत् है :–

क्र० सं०	मॉडल	क्षमता	मुख्य घटक	इकाई लागत (लाख रू० में)
1	मॉडल-A	70–100 कि०ग्रा०/दिन फूल सुखाने की क्षमता, माइक्रो उत्पाद निर्माण	सोलर ड्रायर, मिनी ग्राइंडर, छलनी, मिक्सर धूप/कोन टूल्स, पैकिंग किट	5.00
2	मॉडल-B	250–500 कि०ग्रा०/दिन फूल सुखाने की क्षमता, मूल्यवर्धित उत्पाद निर्माण	3 सोलर ड्रायर, उन्नत ग्राइडिंग/मिक्सिग मशीन, पैकिंग, स्टोरेज रैक	15.00
3	मॉडल-C	राज्य स्तरीय प्रदर्शन, प्रशिक्षण, उत्पाद परीक्षण, फूल भंडारण	30 मे०टन सौर चालित कोल्ड स्टोरेज सहित डेमो ड्राइंग एवं मूल्य संवर्धन	50.00

वित्तीय वर्ष 2026–27 में शुष्क–पुष्प आधारित प्राथमिक मूल्य संवर्धन योजना अन्तर्गत 10 माइक्रो इकाई (मॉडल–A), 5 मॉडल–B एवं 1 प्रदर्शन प्रशिक्षण इकाई (मॉडल–C) पायलट आधार पर किया जायेगा।

मॉडल–A के लिए जीविका एवं मॉडल–B के लिए जीविका CLF/ पंजीकृत FPO को प्राथमिकता दी जायेगी। जीविका समूह/जीविका CLF/पंजीकृत FPO के लाभार्थी नहीं मिलने पर क्लस्टर में फूल की खेती करने वाले क्लस्टर के कृषक को लाभ दी जायेगी। मॉडल–C का संस्थापन मॉडल फ्लोरीकल्चर सेन्टर, भागनबिगहा, नालन्दा में प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण तथा मूल्य संवर्धन के लिए किया जायेगा। इसके लिए 50.00 लाख रूपये की सहायता राशि प्रदान की जायेगी।

मॉडल–A के लिए निर्धारित इकाई लागत 5.00 लाख रूपये पर 75 प्रतिशत अर्थात् अधिकतम 3.75 लाख रूपये एवं मॉडल–B के लिए निर्धारित इकाई लागत 15.00 लाख रूपये पर 75 प्रतिशत अर्थात् अधिकतम 11.25 लाख रूपये अनुदान दिया जायेगा।

ई–निविदा के माध्यम से मॉडल A एवं B के लिए प्राप्त न्यूनतम दर के आलोक में इकाई लागत पर 75 प्रतिशत अनुदान अधिकतम क्रमशः 3.75 लाख रूपये एवं 11.25 लाख रूपये अथवा वास्तविक इकाई लागत का 75 प्रतिशत की राशि दोनों में से जो कम हो वह देय होगा। उक्त राशि का भुगतान भौतिक सत्यापन के उपरांत किया जायेगा।

5. शारदीय (खरीफ) एवं वासंतिक (रबी) मौसम में गेंदा फूल की खेती क्लस्टर में कराया जायेगा। एक क्लस्टर का रकवा 25 हेक्टेयर होगा, जिसका चयन एक पंचायत अथवा साथ लगा हुआ पंचायत के साथ जिला उद्यान पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा। क्लस्टर में कम–से–कम 15 लाभुक किसान होंगे।

6. योजना के संचालन हेतु आवश्यक गेंदा फूल के पौध रोपण सामग्री मॉडल फ्लोरीकल्चर सेन्टर, भागनबिगहा एवं विभागीय प्लग टाईप नर्सरी से किया जायेगा। उक्त संस्थानों के द्वारा आवश्यकतानुसार आपूर्ति नहीं हो पाने की स्थिति में ई–निविदा के माध्यम से चयनित एजेंसी के द्वारा उपलब्धता सुनिश्चित किया जायेगा। यह भी आवश्यक होगा कि मॉडल फ्लोरीकल्चर सेन्टर एवं प्लग टाईप नर्सरी की उत्पादन क्षमता का आकलन पूर्व से कर लिया जायेगा ताकि कृषकों को ससमय पौध रोपण सामग्री की आपूर्ति सुनिश्चित हो सके।

7. योजना का कार्यान्वयन संबंधित जिला के जिला उद्यान पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा।

8. इस योजनान्तर्गत 27500 मानव दिवस सृजन होने की संभावना है।

9. योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदकों को Bihar Krishi App के माध्यम से आवेदन करना होगा। जिला उद्यान पदाधिकारी द्वारा इस सूचना का प्रचार–प्रसार प्रखंड उद्यान पदाधिकारी अथवा अन्य माध्यम से भी कृषकों के बीच कराया जायेगा।

10. जिला उद्यान पदाधिकारी द्वारा चयनित क्लस्टर के कृषकों से ही आवेदन कराया जायेगा। लक्ष्य से अधिक आवेदन पत्र प्राप्ति की स्थिति में क्लस्टर का स्वरूप एवं योग्य कृषकों को ध्यान में रखते हुए "पहले आओ पहले पाओ" के आधार पर योग्य कृषकों को लक्ष्य के अनुरूप चयन किया जायेगा।

11. यह योजना रबी एवं खरीफ मौसम हेतु जिसके अन्तर्गत एक किसान को न्यूनतम 0.1 हेक्टेयर तथा अधिकतम 2 हेक्टेयर का लाभ दिया जायेगा। क्लस्टर को ध्यान में रखते हुए जिला उद्यान पदाधिकारी रकवा की सीमा का निर्धारण कर सकेंगे।

12. जिलावार आवंटित लक्ष्य की शत–प्रतिशत उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु जिलों के माँग के अनुरूप लक्ष्य का स्थानान्तरण प्रधान सचिव/सचिव के अनुमोदन उपरांत किया जा सकेगा।

13. योजना के कार्यान्वयन हेतु कार्यान्वयन अनुदेश सक्षम प्राधिकार के अनुमोदन के उपरांत अलग से निर्गत किया जायेगा जिसके आलोक में योजना का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा।

14. योजना का कार्यान्वयन विभागीय स्वीकृत्यादेश एवं समय–समय पर उद्यान निदेशालय की ओर से प्राप्त निदेश के आलोक में ससमय किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

15. प्रस्तावित योजना अन्तर्गत स्वीकृत राशि की निकासी अनुसूची–5 के अनुसार विभाग के द्वारा आंवटन प्राप्त होने के पश्चात् संबंधित जिला उद्यान पदाधिकारी–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा वित्त विभागीय पत्र संख्या–2561 दिनांक–17.04.1998 का अनुपालन करते हुए संबंधित जिला कोषागार से BTC Form-25 पर CFMS 2.0 के माध्यम से किया जायेगा तथा उपलब्ध कराये गये पौध के मूल्य का भुगतान संबंधित संस्थानों के बैंक खाता में किया जायेगा एवं शेष अनुदान की राशि कृषकों के खाते में नियमानुसार अंतरित किया जायेगा।

16. योजना कार्यान्वयन के क्रम में स्वीकृत राशि के अधीन यथावश्यक संशोधन/अन्तर परिवर्त्तन प्रशासी विभाग द्वारा किया जा सकेगा।

17. योजना के सर्वोच्च नियंत्री पदाधिकारी निदेशक उद्यान, बिहार होंगे। निदेशक, उद्यान समय–समय पर योजना के कार्यान्वयन एवं प्रगति की समीक्षा स्वयं करेंगे।

18. वित्तीय वर्ष 2025–26 में बजट उपबंध से संबंधित विवरणी निम्न प्रकार है :–

(राशि लाख रूपये में)

बजट शीर्ष	उपबंधित राशि	स्वीकृत राशि
मुख्य शीर्ष 2401 फसल कृषि कर्म, उपमुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष 119–बागवानी तथा वनस्पति फसलें, माँग संख्या– 01, उप शीर्ष 0101–उद्यान विकास योजना, विपत्र कोड 01–2401001190101, विषय शीर्ष–0101–33–01 सब्सिडी।	11578.000	1275.00
मुख्य शीर्ष 2401–फसल कृषि कर्म, उपमुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष 789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, माँग संख्या–01, उप शीर्ष– 0130 उद्यान विकास योजना, विपत्र कोड 01–2401007890130, विषय शीर्ष– 0130–33–01 सब्सिडी।	2240.00	0
मुख्य शीर्ष 2401 फसल कृषि कर्म, उपमुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष 796–जनजातीय क्षेत्र उप योजना, माँग संख्या–01, उपशीर्ष 0152–उद्यान विकास योजना, विपत्र कोड 01–2401007960152, विषय शीर्ष–0152–33–01 सब्सिडी।	0.00	0
कुल	**13818.00**	**1275.00**

19. वित्त विभाग के संकल्प संख्या 12888/वि० दिनांक 03.12.2024 तथा पत्रांक–201 दिनांक 13.03.2025 में निहित प्रावधान के आलोक में दिनांक–24.07.2026 को प्रधान सचिव, कृषि की अध्यक्षता में आयोजित विभागीय स्थायी वित्त की बैठक में योजना प्रस्ताव का अनुशंसा प्राप्त है। वित्त विभाग के संकल्प संख्या–973 दिनांक–12.08.2026 में निहित प्रावधान के आलोक में दिनांक–19.08.2026 को विकास आयुक्त, बिहार की अध्यक्षता में आयोजित स्कीम स्क्रीनिंग समिति की बैठक में योजना प्रस्ताव पर अनुशंसा प्राप्त है। योजना के कार्यान्वयन प्रस्ताव एवं स्वीकृत्यादेश प्रारूप में माननीय मंत्री, कृषि विभाग का अनुमोदन संचिका संख्या–DoH/SS/63/2026 के पृष्ठ सं०–31/टि० पर दिनांक–18.09.2026 को प्राप्त है।

20. वित्त विभागीय परिपत्र संख्या–7355 वि० (2) दिनांक–05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

21. स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–DoH/SS/63/2026 के पृष्ठ संख्या–26/टि० पर दिनांक–25.08.2026 को प्राप्त है, जिसकी डायरी संख्या–585 दिनांक–25.08.2026 है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(कल्पना कुमारी)
अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : DoH/SS/63/2026 –पी०पी०एम०– 94– /पटना दिनांक –24.09.2026

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, अंकेक्षण, महालेखाकार (ले० एवं ह०) कार्यालय, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

D:\Sarita\Yojna 26-27\AY\Sanction Order\Phul Vikash (Genda)1275.00 Lakh.docx

ज्ञापांक : DoH/SS/63/2026 - पी०पी०एम० - 94- /पटना दिनांक - 24.09.2026

प्रतिलिपि : योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : DoH/SS/63/2026 - पी०पी०एम० - 94- /पटना दिनांक - 24.09.2026

प्रतिलिपि : सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : DoH/SS/63/2026 - पी०पी०एम० - 94- /पटना दिनांक - 24.09.2026

प्रतिलिपि : सचिवालय कोषागार पदाधिकारी, विकास भवन, पटना एवं संबंधित जिला कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : DoH/SS/63/2026 - पी०पी०एम० - 94- /पटना दिनांक - 24.09.2026

प्रतिलिपि : माननीय कृषि मंत्री के आप्त सचिव/ प्रधान सचिव, कृषि के आप्त सचिव/कुलपति, डॉ० राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय विश्वविद्यालय, पूसा, समस्तीपुर/कुलपति, बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर/कृषि निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक उद्यान, बिहार, पटना/मिशन निदेशक, राज्य बागवानी मिशन, बिहार, पटना/अपर कृषि निदेशक, प्रसार, बिहार, पटना/निदेशक, भूमि संरक्षण, बिहार, पटना/निदेशक, पी०पी०एम०, कृषि विभाग, बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य)/संबंधित उप निदेशक (शष्य)/संबंधित, जिला कृषि पदाधिकारी,/संबंधित सहायक निदेशक उद्यान/संबंधित अनुमंडल कृषि पदाधिकारी/संबंधित उप निदेशक (शष्य) प्रक्षेत्र/मुख्यालय स्थित सभी संबंधित पदाधिकारीगण/वरीय प्रभारी पदाधिकारी, जैविक प्रोत्साहन कोषांग/बजट एवं योजना शाखा (सचिवालय एवं निदेशालय) कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : DoH/SS/63/2026 - पी०पी०एम० - 94- /पटना दिनांक - 24.09.2026

प्रतिलिपि : उप निदेशक (शष्य), सूचना, बिहार, पटना/आई०टी० मैनेजर, कृषि विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर डालने एवं संबंधित पदाधिकारियों एवं कोषागार पदाधिकारी को ई-मेल से भेजने हेतु प्रेषित।

अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

D:\Sarita\Yojna 26-27\AY\Sanction Order\Phul Vikash (Genda)1275.00 Lakh.docx

अनुसूची–1

वित्तीय वर्ष 2026–27 में राज्य स्कीम मद से वासंतिक (रबी) एवं शारदीय (खरीफ) मौसम के लिए गेंदा फूल का उत्पादन एवं मूल्य संवर्धन की योजना का भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य की विवरणी।

क्र० सं०	अवयव का नाम	भौतिक लक्ष्य (हे०/संख्या/इकाई में)	इकाई लागत (लाख रू० प्रति हे०/इकाई में)	अनुदान का प्रतिशत	अनुदान की राशि (लाख रू० प्रति हे०/वाहन/इकाई)	वित्तीय लक्ष्य (लाख रू० में)
1	गेंदा	2700	0.80	50%	0.40	1080.00
2	मालवाहक वाहन	10	6.50	50%	3.25	32.50
3	शुष्क पुष्प आधारित प्राथमिक मूल्य संवर्धन इकाई					
a)	मॉडल–A	15	5.00	75%	3.75	56.25
b)	मॉडल–B	5	15.00	75%	11.25	56.25
c)	मॉडल–C	1	50.00	100%	50.00	50.00
					कुल	**1275.00**

देव नारायण महतो

(अभिषेक कुमार)

अनुसूची–2

वित्तीय वर्ष 2026–27 में वासंतिक (रबी) मौसम के लिए गेंदा फूल का उत्पादन हेतु जिलावार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य की विवरणी।

(भौतिक हे०/सं० में एवं वित्तीय लाख रू० में)

क्र० सं०	जिला का नाम	कलस्टर की संख्या (प्रति कलस्टर 25 हे०)	भौतिक (हे० में)	वित्तीय (@ 0.40 लाख रूपये प्रति हे०)	मालवाहक वाहन की संख्या	वित्तीय (@ 3.25 लाख रूपये प्रति वाहन)	कुल वित्तीय
1	अररिया	1	25	10.00	0	0.00	10.00
2	अरवल	2	50	20.00	0	0.00	20.00
3	औरंगाबाद	1	25	10.00	0	0.00	10.00
4	बाँका	1	25	10.00	0	0.00	10.00
5	बेगूसराय	1	25	10.00	0	0.00	10.00
6	भागलपुर	1	25	10.00	0	0.00	10.00
7	भोजपुर	1	25	10.00	0	0.00	10.00
8	बक्सर	1	25	10.00	0	0.00	10.00
9	दरभंगा	2	50	20.00	0	0.00	20.00
10	गया	5	125	50.00	0	0.00	50.00
11	गोपालगंज	3	75	30.00	0	0.00	30.00
12	जमुई	1	25	10.00	0	0.00	10.00
13	जहानाबाद	2	50	20.00	0	0.00	20.00
14	कैमूर	2	50	20.00	0	0.00	20.00
15	कटिहार	3	75	30.00	0	0.00	30.00
16	खगड़िया	3	75	30.00	0	0.00	30.00
17	किशनगंज	1	25	10.00	0	0.00	10.00
18	लखीसराय	2	50	20.00	0	0.00	20.00
19	मधेपुरा	2	50	20.00	0	0.00	20.00
20	मधुबनी	1	25	10.00	0	0.00	10.00
21	मुंगेर	2	50	20.00	0	0.00	20.00
22	मुजफ्फरपुर	1	25	10.00	0	0.00	10.00
23	नालन्दा	5	125	50.00	0	0.00	50.00
24	नवादा	1	25	10.00	0	0.00	10.00
25	पश्चिमी चम्पारण	2	50	20.00	0	0.00	20.00
26	पटना	4	100	40.00	0	0.00	40.00
27	पूर्वी चम्पारण	2	50	20.00	0	0.00	20.00
28	पूर्णियाँ	2	50	20.00	0	0.00	20.00
29	रोहतास	2	50	20.00	0	0.00	20.00
30	सहरसा	1	25	10.00	0	0.00	10.00
31	समस्तीपुर	2	50	20.00	0	0.00	20.00
32	सारण	1	25	10.00	0	0.00	10.00
33	शेखपुरा	1	25	10.00	0	0.00	10.00
34	शिवहर	1	25	10.00	0	0.00	10.00
35	सीतामढ़ी	3	75	30.00	0	0.00	30.00
36	सिवान	2	50	20.00	0	0.00	20.00
37	सुपौल	1	25	10.00	0	0.00	10.00
38	वैशाली	2	50	20.00	0	0.00	20.00
39	निदेशक उद्यान, उद्यान निदेशालय, बिहार	0	0	0.00	10	32.50	32.50
	Total	**71**	**1775**	**710.00**	**10**	**32.50**	**742.50**

देव नारायण महतो

(अभिषेक कुमार)

अनुसूची–3

वित्तीय वर्ष 2026–27 में शारदीय (खरीफ) मौसम के लिए गेंदा फूल का उत्पादन हेतु जिलावार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य की विवरणी।

(भौतिक हे० में एवं वित्तीय लाख रू० में)

क्र० सं०	जिला का नाम	कलस्टर की संख्या (प्रति कलस्टर 25 हे०)	भौतिक	वित्तीय
1	औरंगाबाद	1	25	10.00
2	बेगूसराय	1	25	10.00
3	दरभंगा	1	25	10.00
4	गया	3	75	30.00
5	जमुई	1	25	10.00
6	जहानाबाद	2	50	20.00
7	गोपालगंज	2	50	20.00
8	कैमूर	1	25	10.00
9	लखीसराय	1	25	10.00
10	मुंगेर	1	25	10.00
11	रोहतास	1	25	10.00
12	अररिया	1	25	10.00
13	अरवल	1	25	10.00
14	कटिहार	2	50	20.00
15	नालन्दा	4	100	40.00
16	नवादा	2	50	20.00
17	पश्चिमी चम्पारण	2	50	20.00
18	पटना	2	50	20.00
19	पूर्वी चम्पारण	1	25	10.00
20	पूर्णियाँ	2	50	20.00
21	समस्तीपुर	2	50	20.00
22	सीतामढ़ी	1	25	10.00
23	वैशाली	2	50	20.00
	Total	**37**	**925**	**370.00**

देव नारायण महतो

(अभिषेक कुमार)

अनुसूची–4

वित्तीय वर्ष 2026–27 में फूल के मूल्य संवर्धन की योजना अन्तर्गत मॉडल–A, B & C हेतु जिलावार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य की विवरणी।

(भौतिक लक्ष्य संख्या में एवं वित्तीय लक्ष्य लाख रू० में)					
		भौतिक लक्ष्य (मॉडलवार)			
क्र० सं०	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का नाम	मॉडल–A	मॉडल–B	मॉडल–C	वित्तीय
1	औरंगाबाद	1	0	0	3.75
2	बेगूसराय	1	0	0	3.75
3	दरभंगा	1	0	0	3.75
4	गया	1	2	0	26.25
5	जमुई	1	0	0	3.75
6	जहानाबाद	1	0	0	3.75
7	गोपालगंज	1	0	0	3.75
8	कैमूर	1	0	0	3.75
9	बांका	1	0	0	3.75
10	मुंगेर	1	0	0	3.75
11	मुजफ्फरपुर	1	0	0	3.75
12	नालन्दा	1	0	0	3.75
13	पटना	1	2	0	26.25
14	पूर्वी चम्पारण	1	0	0	3.75
15	सीतामढ़ी	1	1	0	15.00
16	मॉडल फ्लोरीकल्चर सेन्टर, भागनबिगहा, नालन्दा	0	0	1	50.00
	कुल योग	**15**	**5**	**1**	**162.50**

देव नारायण महतो

(अभिषेक कुमार)

1448

अनुसूची –5

वित्तीय वर्ष 2026–27 में वासंतिक (रबी) एवं शारदीय (खरीफ) मौसम के लिए गेंदा फूल का उत्पादन हेतु जिलावार एवं श्रेणीवार वित्तीय लक्ष्य का निर्धारण (लाख रू० में)

क्र० सं०	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का नाम	सामान्य जाति	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	कुल वित्तीय लक्ष्य
1	जिला उद्यान पदाधिकारी, अररिया	20.00	0.00	0.00	20.00
2	जिला उद्यान पदाधिकारी, अरवल	30.00	0.00	0.00	30.00
3	जिला उद्यान पदाधिकारी, औरंगाबाद	23.75	0.00	0.00	23.75
4	जिला उद्यान पदाधिकारी,, बाँका	13.75	0.00	0.00	13.75
5	जिला उद्यान पदाधिकारी, बेगूसराय	23.75	0.00	0.00	23.75
6	जिला उद्यान पदाधिकारी,, भागलपुर	10.00	0.00	0.00	10.00
7	जिला उद्यान पदाधिकारी, भोजपुर	10.00	0.00	0.00	10.00
8	जिला उद्यान पदाधिकारी, बक्सर	10.00	0.00	0.00	10.00
9	जिला उद्यान पदाधिकारी, दरभंगा	33.75	0.00	0.00	33.75
10	जिला उद्यान पदाधिकारी, गया	106.25	0.00	0.00	106.25
11	जिला उद्यान पदाधिकारी, गोपालगंज	53.75	0.00	0.00	53.75
12	जिला उद्यान पदाधिकारी, जमुई	23.75	0.00	0.00	23.75
13	जिला उद्यान पदाधिकारी, जहानाबाद	43.75	0.00	0.00	43.75
14	जिला उद्यान पदाधिकारी, कैमूर	33.75	0.00	0.00	33.75
15	जिला उद्यान पदाधिकारी, कटिहार	50.00	0.00	0.00	50.00
16	जिला उद्यान पदाधिकारी, खगड़िया	30.00	0.00	0.00	30.00
17	जिला उद्यान पदाधिकारी, किशनगंज	10.00	0.00	0.00	10.00
18	जिला उद्यान पदाधिकारी, लखीसराय	30.00	0.00	0.00	30.00
19	जिला उद्यान पदाधिकारी, मधेपुरा	20.00	0.00	0.00	20.00
20	जिला उद्यान पदाधिकारी, मधुबनी	10.00	0.00	0.00	10.00
21	जिला उद्यान पदाधिकारी, मुंगेर	33.75	0.00	0.00	33.75
22	जिला उद्यान पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर	13.75	0.00	0.00	13.75
23	जिला उद्यान पदाधिकारी, नालन्दा	93.75	0.00	0.00	93.75
24	जिला उद्यान पदाधिकारी, नवादा	30.00	0.00	0.00	30.00
25	जिला उद्यान पदाधिकारी, पश्चिमी चम्पारण	40.00	0.00	0.00	40.00
26	जिला उद्यान पदाधिकारी, पटना	86.25	0.00	0.00	86.25
27	जिला उद्यान पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण	33.75	0.00	0.00	33.75
28	जिला उद्यान पदाधिकारी, पूर्णियाँ	40.00	0.00	0.00	40.00
29	जिला उद्यान पदाधिकारी, रोहतास	30.00	0.00	0.00	30.00
30	जिला उद्यान पदाधिकारी, सहरसा	10.00	0.00	0.00	10.00
31	जिला उद्यान पदाधिकारी, समस्तीपुर	40.00	0.00	0.00	40.00
32	जिला उद्यान पदाधिकारी, सारण	10.00	0.00	0.00	10.00
33	जिला उद्यान पदाधिकारी, शेखपुरा	10.00	0.00	0.00	10.00
34	जिला उद्यान पदाधिकारी, शिवहर	10.00	0.00	0.00	10.00
35	जिला उद्यान पदाधिकारी, सीतामढ़ी	55.00	0.00	0.00	55.00
36	जिला उद्यान पदाधिकारी, सिवान	20.00	0.00	0.00	20.00
37	जिला उद्यान पदाधिकारी, सुपौल	10.00	0.00	0.00	10.00
38	जिला उद्यान पदाधिकारी, वैशाली	40.00	0.00	0.00	40.00
39	निदेशक उद्यान, उद्यान निदेशालय, बिहार	32.50	0.00	0.00	32.50
40	मॉडल फ्लोरीकल्चर सेन्टर, भागनबिगहा, नालन्दा	50.00			50.00
	कुल	**1275.00**	**0.00**	**0.00**	**1275.00**

(बारह करोड़ पचहत्तर लाख रूपये मात्र)

देव नारायण महतो

(अभिषेक कुमार)